06.05.2024 राज्य द्वारा एडीपीओ उप.।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत।

आरोपी को जारी गिरफतारी वांरट अदम तामिल मय तस्दीक पंचनामे के प्राप्त ।

अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामील मय तस्दीक पंचनामा इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि ''*पता तलाश करने पर अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नही है* '' उक्त के संबंध मे तामिल कुनिंदा प्रधान आरक्षक अनिल राठौर प्र.सी.–1 के फरारी कथन लिये गये तथा प्र.सी.–1 गिरफतारी वांरट एंव पंचनामा प्र.सी.–2 के तस्दीक किये गये।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 19.10.2022 को अभियोग पत्र पेश किया गया था। आरोपी दिनांक 27.01.2024 से आरोपी अनुपस्थित है। उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति हेतु कई बार गिरफतारी वांरट जारी किया गया है। इसके बावजूद आज दिनांक तक अभियुक्त प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए है। पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के निकट भविष्य में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। जिससे अभियुक्त के आचरण का देखते हुए यह संतोष हो जाता है कि अभियुक्त उनके प्रकरण की सूचना होने के बावजूद जारी गिरफतारी वांरट के निर्वाह से बचने का प्रयास कर रहे है। अतः अभियुक्त **लल्लु पिता प्यारचंद अहिरवार उम्र–32 वर्ष निवासी जन्नौद थाना रामपुरा** का **<u>स्थाई गिरफ्तारी वारंट</u>** जारी किया जावे।

प्रवर्तन लिपिक ध्यान दे स्थाई वारंट पंजी में वारंट जारी किये जाने का विवरण प्रकरण क्रमांक, उन्मान, दायरा दिनांक, अपराध की धारा एवं स्थाई वारंट जारी किये जाने की तिथि तथा अन्य आवश्यक जानकारी सहित प्रवष्टि करें और विस्तृत सूची तैयार कर सूची सहित स्थाई वारंट जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक अथवा विधिवत् जावक द्वारा भेजे जावे। जावक एवं आवक नंबर आदेश पत्रिका के दाहिने और वारंट जारी करने की टीप सहित अंकित की जावे। थाना मुंशी को निर्देशित किया जाता है कि वह स्थाई गिरफ्तारी वारंट का थाना का आवक नंबर लाकर न्यायालय में प्रस्तुत करे।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से यह

टीप अंकित की जावे कि प्रकरण को नष्ट न कर आगामी आदेश पर्यन्त रिकार्ड रूप में सुरक्षित रखा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार में भेजा जावे।

sd

(सौरभ कुमार सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

नारायणगढ़, जिला मंदसौर,म.प्र.